राजस्थान सरकार
(आयोजना विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.2/डीईएस/लेखा/बजट/2017–18/I/73316 दिनांक 5-9-17

बजट परिपत्र

विषयः– वर्ष 2018–19 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के कम में।

समस्त सम्बन्धित अधिकारी निर्देशित किये जाते हैं कि प्रतिवर्ष की भॉति वर्ष 2018–19 के लिए आय–व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान, वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के परिपत्र क्रमांक **पं.4(36)वित्त –1(1)आ.व्य./2017 जयपुर दिंनाक 30 अगस्त 2017 (संलग्न)** द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप निर्धारित बजट प्रोग्राम तिथि को निर्धारित प्रपत्र सं. 1 से 13 में (State fund and Central Assistance) के बजट प्रस्ताव तैयार करवाकर एक प्रति के साथ सम्बन्धित कार्मिक एवं कम्प्यूटर दक्ष कार्मिक को निदेशालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें।

आप द्वारा प्रस्तुत आय–व्ययक/संशोधित अनुमानों को I.F.M.S. पोर्टल पर ऑन लाईन किया जाना हैं। प्रत्येक शीर्षो के लिए अलग–अलग प्रपत्रों का उपयोग करतें हुए बजट तैयार करवावें। यात्रा, चिकित्सा व अन्य लम्बित देयताओं की सूचि पृथक से तैयार करवाकर प्रेषित करावें। स्वीकृत पदों की स्थिति जानने के लिए I.F.M.S. पोर्टल पर → finance → Post → Distribution → Report का अवलोकन करें। प्रस्तुत किया जाने वाला बजट सही एवं पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया जाना है, गलत सूचना प्रेषण से प्रभावित होने वाली स्थिति के लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगें।

सलंग्नः– बजट प्रोग्राम।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.2/डीईएस/लेखा/बजट/2017–18/I/73316 दिनांक 5-9-17

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख हैं कि जारी वित्त विभाग के बजट परिपत्र की अनुपालना करतें हुए पूर्ण गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित प्रोग्राम तिथि को बजट प्रस्ताव व्यक्तिशः सम्बन्धित कार्मिक एवं कम्प्यूटर दक्ष व्यक्ति के साथ प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करावें।

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय,.....
3. सहायक लेखाधिकारी–।/स्टोर कीपर/केयर टेकर
4. प्रोग्रामर मुख्यालय को वास्ते विभागीय, पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित हैं।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
(आयोजना विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।

बजट प्रोग्राम

क्र. स.	जिला कार्यालय	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2018–19 निदेशालय में प्रस्तुत कराने की दिनांक	क्र. स.	जिला कार्यालय	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2018–19 निदेशालय में प्रस्तुत कराने की दिनांक
1.	बूंदी	18.09.2017	18.	जालौर	20.09.2017
2.	चुरू		19.	झालावाड	
3.	हनुमानगढ		20.	जोधपुर	
4.	झुन्झुनू		21.	नागौर	
5.	करौली		22.	पाली	
6.	कोटा		23.	राजसमन्द	
7.	सीकर		24.	सिरोही	
8.	टोंक		25.	अजमेर	
9.	बांसवाडा	19.09.2017	26.	अलवर	22.09.2017
10.	बारां		27.	भरतपुर	
11.	बाडमेंर		28.	दौसा	
12.	भीलवाडा		29.	धौलपुर	
13.	बीकानेर		30.	जयपुर	
14.	चित्तौडगढ		31.	सवाईमाधापुर	
15.	डूंगरपुर		32.	उदयपुर	
16.	गंगानगर		33.	प्रतापगढ	
17.	जैसलमेर		34.	मुख्यालय	

लेखाधिकारी

आय–व्ययक महत्त्वपूर्ण

समस्त नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तरों पर वांछित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

बजट परिपत्र

क्रमांक :प.4(36)वित्त–1(1)आ.व्य./2017 जयपुर, दिनांक : 30 अगस्त, 2017

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए संशोधित अनुमान।

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017–2018 के संशोधित अनुमान निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर, अनिवार्य रूप से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्त विभाग में प्रेषित किए जाएं। आय–व्ययक अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ट "क" "ख" "ग" "घ"**, समय सारणी को परिशिष्ट "ङ" एवं निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 13 वित्त विभाग की वेबसाइट **finance.rajasthan.gov.in** से **Download** किये जावें। इसके अतिरिक्त परिपत्र में संदर्भित विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त दिशा निर्देश एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की वेबसाईट http://ifms.raj.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2017–2018 से आयोजना एवं आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर को समाप्त कर व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व एवं पूंजीगत मद में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 के संशोधित अनुमान एवं आगामी वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक अनुमानों के लिए की जाने वाली बी.एफ.सी. के दो भाग होगें। प्रथम भाग में 'योजनाओं के अतिरिक्त' (**other than schemes**) व्यय से संबंधित बजट मदों में राज्य निधि के अन्तर्गत प्रावधानों पर विचार किया जावेगा एवं द्वितीय भाग में केन्द्रीय प्रवर्तित तथा राज्य योजनाओं से संबंधित बजट मदों में राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रावधान अनुमोदित किये जावेगें। बी.एफ.सी. के प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग हेतु प्रपत्र संख्या 1 से 13 तक अलग–अलग **online forward** किये जावें।

3. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि पूंजीगत प्रकृति के समस्त व्यय एवं ऋणों के लिए प्रावधान आवश्यक रूप से योजनाओं से संबंधित बजट मदों में प्रस्तावित किये जावे तथा इन बजट मदों की मैपिंग IFMS में स्कीम कोड के साथ करवाई जावे। पूंजीगत व्यय व ऋणों के लिए प्रावधान 'योजनाओं के अतिरिक्त' (other than schemes) व्यय से संबंधित बजट मदों में प्रस्तावित नहीं किए जावें।

4. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है :–

- आय–व्ययक अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में समस्त आकलन अधिकारियों तथा नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखे जाने योग्य विशेष दिशा निर्देश परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध हैं।
- विभागों में विद्यमान पद, कार्यरत कार्मिक, दूरभाष सुविधा, कम्प्यूटर्स संबंधी उपकरण तथा वाहनों का विवरण संबंधित विभागों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

(IFMS) में माह सितम्बर, 2017 में ऑन–लाइन अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। इन सूचनाओं / विवरण के अद्यतन होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 4 के अधिकांश कॉलम्स में सूचना स्वतः दर्शित होगी। इस संबंध में कोई कठिनाई होने पर वित्त विभाग में स्थापित हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

- राजस्व प्राप्तियों के अनुमान कर, शुल्क, फीस आदि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिएं। व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से वास्तविक आकलन किया जाए एवं अनावश्यक व्ययों हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाए जाएं। **एक मुश्त प्रावधान के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जाएं।**
- **अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (Special Component Plan for Scheduled Caste) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (Tribal Sub Plan)** हेतु निर्धारित निधि प्रवाह (Funds Flow) सुनिश्चित करने के लिए आयोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(2)आयो/ग्रुप–5/2015 दिनांक 28.12.2016 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रतिशत में प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
- **जेण्डर बजट स्टेटमेंट** तैयार करने के लिए वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.4(92)वित्त–1(1)आय–व्ययक/2008–पार्ट–2 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 तथा महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों तथा योजनाओं में महिलाओं के लिए आवंटित राशि के आधार पर निर्दिष्ट वर्गीकरण करते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
- **पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों**, यथा प्रारम्भिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मय निधियों, गतिविधियों एवं कार्मिकों के हस्तान्तरण के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक निधियां हस्तान्तरित करने के लिए इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(22) वित्त–1(1)/आ.व्य./03 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार बजट प्रावधान प्रस्तावित किए जाएं।
- **उपयुर्क्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/विभागों द्वारा किसी तरह के पृथक से आदेश/परिपत्र जारी किये जाने की स्थिति में तदानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।**

5. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने के लिए विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–ख** पर उपलब्ध है। यह विवरण उपरोक्त साइट पर **Operational Manual** के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न **(FAQ)** भी इस साइट पर उपलब्ध होंगे। तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग, सचिवालय में स्थित हैल्प डैस्क **(0141-5153222, Ext. 24449/24452)** पर या **e-mail** के माध्यम से **ifms-rj@nic.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

6. भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं या अन्य रूप में प्राप्त होने वाली राशि के व्यय हेतु योजनाओं से संबंधित बजट मदों में निर्धारित फण्डिंग पैटर्न अनुसार ही राज्यांश तथा केन्द्रीय अंशदान के लिए राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक्–पृथक् प्रावधान प्रस्तावित किये जावे तथा बजट मदों की IFMS व PFMS में स्कीम कोड के साथ मैपिंग कराई जावे।

वर्तमान में कतिपय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो रही है जिसे 'योजनाओं के अतिरिक्त' (other than schemes) व्यय से संबंधित बजट मदों के माध्यम से व्यय किया जा रहा है। उदाहरणार्थ : चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली ग्रान्ट/निधि व राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग को प्राप्त होने वाली राशि, आदि। वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक अनुमानों के लिए इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रावधान योजनाओं से संबंधित बजट मदों में ही प्रस्तावित किया जावें।

7. केन्द्रीय सहायता की श्रेणी में आने वाली योजनाओं एवं इसकी घटक योजनाओं/उपयोजनाओं की Mapping आयोजना विभाग से करावें। एक से अधिक योजनाओं/ उप–योजनाओं का विवरण अलग प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे। इन योजनाओं में, चालू वर्ष 2017–2018 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक अनुमान आयोजना विभाग द्वारा जारी सीमा के अनुसार प्रस्तावित किये जाएं। योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ग्रांट सहित)' तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों (Central Sector Schemes) के आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित किया जाए जिनके लिए केन्द्र सरकार तथा अन्य संस्थाओं के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो गए हैं।

8. विभाग, जिन्हें **निष्पादन आय–व्ययक** भी प्रस्तुत करना है, की सूची मय आवश्यक दिशा–निर्देश **परिशिष्ट –'ग'** पर उपलब्ध है।

9. समस्त अपेक्षित सूचना भेजने में होने वाली त्रुटियों की सम्भावना समाप्त करने हेतु उचित जाँचों एवं सावधानी से कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से **परिशिष्ट –'घ'** के रूप में एक **मार्ग दर्शिका** दी गई है। समस्त विभागाध्यक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अनुमान प्रस्तुत करते समय इस मार्ग दर्शिका का उपयोग करें।

10. समस्त बजट आकलन अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे बजट प्रस्ताव **परिशिष्ट – 'ङ'** पर उपलब्ध **समय सारिणी** में अंकित निर्धारित तिथि तक सारिणी में दर्शित विभाग को प्रेषित करें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) सचिव, मुख्यमंत्री महोदया
(2) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
(3) विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव
(5) प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग
(8) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)